कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

निर्वाचन सदन, 17–अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स– 0755– 2555162
E-Mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

---

फा.क्र. 10-क/निर्वा.व्यय/लो.स./निर्देश/2019/970 भोपाल, दिनांक21 /01/2019

प्रति,

कलेक्टर एवं,
जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त मध्यप्रदेश।

विषय - लोक सभा के आगामी साधारण निर्वाचन 2019 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों - व्यय संवेदनशीन निर्वाचन क्षेत्रों को चिंहित करना।

संदर्भ - निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार संग्रह अक्टूबर 2017.

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार संग्रह अक्टूबर 2017 के खण्ड - ख के विंदु क्रमांक 10 "व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र (ईएससी) एवं व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) का अवलोकन करने का कष्ट करें, निर्देशानुसार लोक सभा के आगामी साधारण निर्वाचन **2019** हेतु संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में व्यय संवेदनशील पॉकेटों की पहचान कर शीघ्र इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(राजेश कौल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

9. व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठः

जिला निर्वाचन अधिकारी लेखा कार्यों में निपुण वरिष्ठ अधिकारी जो एस डी एम/ए डी एम श्रेणी से कमतर रैंक के न हों, को व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। ऊपर उल्लिखित सभी टीमें और नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के घटक होंगे।

10. व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र (ईएससी) एवं व्यय संवदेनशील पॉकेट (ईएसपी):

पिछली घटनाओं, निर्वाचन क्षेत्र के संक्षिप्त विवरण एवं पिछले घटनाक्रमों के आधार पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन निर्वाचन क्षेत्रों को अभिचिह्नित करेंगे जिनमें अत्यधिक व्यय और भ्रष्ट परिपाटियों को अपनाए जाने की संभावना है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को 'व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र' का नाम दिया जाएगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दो सहायक व्यय प्रेक्षक, उड़नदस्तों] स्थैतिक निगरानी टीमों तथा वीडियों निगरानी टीमों की ऐसी अतिरिक्त संख्या जो शेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों मे तैनात संख्याओं से आवश्यकतानुसार अधिक होंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को व्यय अनुवीक्षण कार्य में लगी टीमों के प्रभावी कामकाज को सुगम बनाना होगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की सूची आयोग को पहले, समय रहते ही भेज दी जानी चाहिए।

व्यय संवेदनशील पॉकेटों की पहचान साक्षरता या आर्थिक विकास या पिछले निर्वाचन में शिकायतों की संख्या के आधार पर व्यय प्रेक्षक (पहले विज़िट के दौरान) के परामर्श से की जानी है। ऐसे पॉकेटों पर स्थैतिक निगरानी दलों (एसएसटी) द्वारा निर्वाचनों के पहले के अंतिम तीन दिनों के दौरान गहनता से निगरानी रखी जानी है।

(i) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक व्यय प्रेक्षक के परामर्श से निर्वाचन–क्षेत्र में व्यय संवेदनशील पॉकेटों की पहचान करेंगे। इन क्षेत्रों में मतदान के आखिरी तीन दिनों के दौरान स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा चौबीसो घंटे निगरानी की जाएगी। इस अवधि के दौरान एसएसटी में केन्द्रीय पुलिस बल भी सम्मिलित होंगे।

(ii) जहां यह सूचना प्राप्त हो कि अभ्यर्थी निर्वाचन में बहुत अधिक मात्रा में व्यय कर रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी को हर समय वीडियो निगरानी के अधीन रखा जाएगा।

11. नोडल अधिकारी

(क) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नोडल अधिकारीः मुख्य निर्वाचन अधिकारी व्यय अनुवीक्षण पर आयोग के साथ समन्वयन करने, व्यय संबंधी कार्मिक एवं राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, राज्य में अन्य नोडल